8/8/24

आज पक्ष पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर पेशी मे ली गई। प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र मे निवेदन किया कि प्रकरण मे धारा प्रकाशन का समीक्षा हो चुका है। इसलिए फिसल पेशी मे ली जाकर खारिज फरमाई जावे। प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा २१२ RTA नोटप्रेस करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाकर प्रकरण मे जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 6/8/24 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विणीत होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर